

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 4(45)नविवि/II/2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 29 JUL 2020

आदेश

श्री रामलाल, अति० मुख्य अभियंता, अलवर विकास न्यास, अलवर में कार्यरत है, के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.07.2020 से सेवानिवृत्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

11
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम